न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–09/2020 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

––प्रार्थी/सिक्योर कैडिटर

बनाम

1. मै. जी.बी.जी. ग्रेन मिल्स प्रा. लि. जरिये डाईरेक्टर संदीप कुमार गट्टानी एवं सुनील गट्टानी पता–बी–9, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, रोड़ नं. 6, हनुमानगढ़–335513, राज.।

––(ऋणी/बंधककर्ता)

2. श्री राधेश्याम गट्टानी पता–बी–9, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, रोड़ नं. 6, हनुमानगढ़–335513, राज.।

––(जमानतदार/बंधककर्ता)

3. श्री संदीप कुमार गट्टानी डाईरेक्टर जी.बी.जी. ग्रेन मिल्स प्रा. लि.

––(जमानतदार)

4. श्री सुनील गट्टानी डाईरेक्टर जी.बी.जी. ग्रेन मिल्स प्रा. लि.

––(जमानतदार)

5. श्रीमती शर्मिला गट्टानी पत्नी श्री संदीप गट्टानी **––(जमानतदार)**
6. श्रीमती मनीषा गट्टानी पत्नी श्री सुनील गट्टानी **––(जमानतदार)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलाये जाने हेतु प्रा.पत्र

आदेश

दिनांकः–08.10.2020

प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने मैसर्स जी.बी.जी. ग्रेन मिल्स प्रा. लि. जरिये डाईरेक्टर संदीप कुमार गट्टानी एवं सुनील गट्टानी व अप्रार्थी संख्या 1 को 7,00,00,000/–रूपये खाता संख्या(67105120052) के अन्तर्गत ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी तथा उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में बंधक विलेख निष्पादित कर अचैल सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–9, इंडस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ राज. में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गमीटर है, जिसको प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था।

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने पर उनके ऋण खाता संख्या-(67105120052) को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.07.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण का खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 18.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 7,32,91,442.21/- दिनांक 09.09.2019 तक का ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त का भुगतान की मांग की गई। वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवंज में प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर के पास बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-9, इंडस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ राज.(कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गमीटर) में स्थित है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व आईसीआईसीआई बैंक लिमि. जयपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़